प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हेतु ऋण तीन श्रेणियों में उपलब्ध

उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, अजय कुमार चौरसिया ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गयी है, जिसके अन्तर्गत भारत का कोई भी नागरिक जिसकी गैर कृषि क्षेत्र की आय अर्जक गतिविधि जैसे लघु विनिर्माण इकाईयां, प्रसंस्करण, व्यापार अथवा सेवा क्षेत्र की इकाइयां, दुकानदार, फल/सब्जी विक्रेता, मरम्मत की दुकानें, मशीने परिचालन, लघु उद्योग, दस्तकार तथा व्यवसाय योजना हो और जिसकी ऋण आवश्यकता अधिकतम रू0 10.00 लाख तक हो वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिये किसी भी बैंक/कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, 5 नया कटरा, इलाहाबाद से सम्पर्क कर सकते है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हेतु ऋण तीन श्रेणियों में उपलब्ध है। शिशु श्रेणी के अन्तर्गत रू0 50000/- तक के छोटे ऋण, किशोर श्रेणी के अन्तर्गत रू0 50000/- से अधिक रू0 5.00 लाख तक के ऋण एवं तरूण श्रेणी के अन्तर्गत यह रू0 05.00 लाख से अधिक और रू0 10.00 लाख तक ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है। अपनी व्यवसाय की प्रकृति तथा परियोजन की जरूरत के अनुसार आप मुद्रा की किसी भी मध्यवर्ती संस्था से मापदण्डों के अनुरूप वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, 5 नया कटरा, इलाहाबाद से सम्पर्क कर सकते है।